न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–603 / 2017

1. श्योनाथ पुत्र स्व. श्री कल्याण
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र बंशी

जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण–

बनाम

1. जयराम पुत्र छोटू
2. तेजपाल पुत्र ग्यारसा
3. रामकरण पुत्र जवारा

जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, तह0 सांगानेर, जिला जयपुर।

4. हजारी
5. रामू

पुत्रान स्व. श्री कल्याण, जाति जाट, निवासी ग्राम जयसिंपुरा, बास भांकरोटा, तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

6. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागांनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक सांगानेर (प्रथम) जयपुर, जिला जयपुर।

– रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री हेमन्त सोगानी अपीलार्थीगण की ओर से।

2– श्री निर्मल कुमार जैन रेस्पोडेंट सख्या 1 व 2 की ओर से।

3– श्री विपुल शर्मा रेस्पोडेंट सख्या 4 व 5 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 19–01–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम) जयपुर दिनांक 27.06.2017 प्रार्थना पत्र संख्या 109 / 2016 उनवानी जयराम व अन्य बनाम श्योनाथ व अन्य प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सख्या 01 लगायत 03 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना–पत्र अस्थई निषेघाज्ञा प्रस्तुत कर वाद के मद सख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के उपयोग व उपभोग में बाधा नहीं डाले जाने, जबरन बेदखल नहीं किये जाने तथा आराजी को रहन, बय एवं हस्तान्तरण नहीं किये जाने के आशय से अप्रार्थीगण अपीलान्ट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का अनुतोष चाहा गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–06–2017 पारित कर उभयपक्ष को ताफैसला वाद वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत पाबंद किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपने अपील मीमों में कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2017 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। जयराम व अन्य द्वारा प्रस्तुत दावा व आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम) के समक्ष विचाराधीन था। दिनांक 12.05.2017 को प्रकरण में आगामी तारीख पेशी वास्ते जवाब आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.06.2017 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु नियत की गई। उसके पश्चात् अपीलार्थीगण के पास लोक अदालत कैम्प कोर्ट जयसिंहपुरा का नोटिस प्राप्त होने पर वे लोक अदालत के समक्ष उपस्थित हुए और जब पीठासीन अधिकारी महोदय ने उनसे प्रकरण के संबंध में

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

किसी राजीनामे के संबंध में पूछा तो उनके समक्ष यह स्पष्ट कर दिया गया कि पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा होने की स्थिति नहीं है। इस पर पीठासीन अधिकारी ने यह कहा कि आपके प्रकरण में तो तारीख ही परिवर्तित होगी और रीडर के कहने के अनुसार प्रतिवादीगण आदेशिका पर हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी कर वापस आ गये। उसके पश्चात् अपीलार्थीगण को यह जानकारी प्राप्त हुई कि पत्रावली में तो उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को ताफैसला दावा कायम किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। दिनांक 27.06.2017 को कोई भी वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 लोक अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ ऐसी स्थिति में अन्यथा भी गुणावगुण पर कोई निर्णय पारित किये जाने का कोई आधार ही नहीं था परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णत अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के अपने अपीलाधीन निर्णय में यह अंकित ही नहीं किया है कि वे किस आधार पर वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 का प्रथमदृष्टया केस नहीं है और सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू किस प्रकार वादीगण के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के तीनों आधारभूत बिन्दू वादीगण के पक्ष में ना होने के बाजवूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 भूमि विवादग्रस्त के दर्ज खातेदार काबिज काश्तकार नहीं है। वादीगण ने स्वयं ही भूमि विवादग्रस्त के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण के तथाकथित अधिकारों की घोषणा होना और उनके संबंध में निर्णय पारित किया जाना अभी शेष है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 के अधिकारों के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई न्यायिक विवेक लगाकर विचार किये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अपीलाधीन आदेश फरमा दिया। रेस्पोडेंट/वादीगण ने खाता संख्या 145 के जिन खसरा नम्बर 212 रकबा 03. हैक्टै0, 219 रकबा 0.03 हैक्टै0, 220 रकबा 0.03 रकबा हैक्टै0, 221 रकबा 0.01 हैक्टै0, 222 रकबा 1.00 हैक्टै0 व 241 रकबा 0.30 हैक्टै0, कुल किता 6 रकबा 01.73 हैक्टै0 के संबंध में दावा प्रस्तुत किया है उनमें से भूमि खसरा नम्बर 212 साबिक नम्बर 30 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा से, खसरा नम्बर 219, 220, 221, 220 व 241 साबिक खसरा नम्बर 26 मिन बने है जो भूमि बन्दोबस्त संवंत 2015–2034 मे जगन्नाथ व छोटू पुत्रान शोभा के नाम दर्ज थी जिसमें छोटू का पुत्र होने के आधार पर उसके 1/2 हिस्से की भूमि में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के हक पूर्वाधिकारी श्री कल्याण का 1/4 अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/8 हिस्सा है और अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण उक्त भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह की से निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट/वादीगण ने खाता संख्या 121 की भूमि छोटू पुत्र शोभा की तन्हा खातेदारी में थी जिसमें छोटू का देहान्त होने पर विरासत का नामान्तरकरण छोटू के चारों पुत्रों घीस्या उर्फ घासी, कल्याण, जवाहरा व ग्यारसा के नाम बहिस्सा बराबर तस्दीक किया जाना आवश्यक था परन्तु कल्याण का नाम उसके 1/4 हिस्से की भूमि में दर्ज नहीं किया गया और भूमि खसरा नम्बर 204 के कुल रकबे के 1/2 हिस्से की भूमि रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा श्री बंशी व श्योनाथ पुत्रान स्व. श्री कल्याण को बिल एवज 8,999/–रूपये विक्रय कर कब्जा संभला दिया। रेस्पोडेंट/वादीगण ने भूमि खसरा नम्बर 156/1123 रकबा 0.71 हैक्टै0, 157 रकबा 3.93 हैक्टै0, 157/1086 रकबा 0.01 हैक्टै0, 158 रकबा 0.07 हैक्टै0, कुल किता 4 कुल रकबा 4.72 हैक्टै0 की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि दिनांक 15.04.2005 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा पिंकसिटी इन्फ्रास्ट्रेक्चर प्रा.लि. को विक्रय कर दी। इस प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट/वादीगण किसी प्रकार के कोई अधिकार क्लेम करने के अधिकारी नहीं रखते, परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। यह सही है कि शोभा के दो पुत्र जगन्नाथ व छोटू थे और जगन्नाथ के तीन पुत्र जोधराम, बींज्याराम व श्रीला हुए। छोटू पुत्र शोभा के चार पुत्र घीस्या उर्फ घासी, कल्याण, ग्यारसा व जवाहरा हुए। कल्याण के चार पुत्र श्योनाथ, हजारी, रामू व बंशी हुए और घीस्या उर्फ घासी का पुत्र जयराम रेस्पोडेंट/वादी संख्या 01 है, ग्यारसा पुत्र छोटू का पुत्र तेजपाल रेस्पोडेंट/वादी संख्या 02 तथा जवाहरा पुत्र छोटू का पुत्र रामकरण रेस्पोडेंट/वादी संख्या 03 है। रेस्पोडेंट/वादीगण ने वास्तविक तथ्यों की जानकारी होते हुए भी गलत व आधारहीन तथ्य अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट/वादीगण का यह कथन कि उन्हें उक्त विक्रय पत्र की कोई जानकारी नहीं है, पूर्णतः गलत व निराधार है। रेस्पोडेंट/वादीगण का यह कथन कि उन्हें उक्त विक्रय पत्र की जब जानकारी हुई तो वे तथाकथित ''काफी आश्चर्यचकित' हो गये और रेस्पोडेंट/वादीगण सारे कागजात को लेकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के पास गये और अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने सारा मामला समझकर तथा अपने कब्जे काश्त की वास्तविक स्थिति देखकर यह कथन किया है कि हमें पता नहीं भूमि हमारे नाम हमारे पिता ने किस आधार पर लगवाई थी कब्जा आप लोगों का है ही हम लोग न्यायालय में चलकर उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवा देंगें।'' पूर्णतः गलत व निराधार है। रेस्पोडेंट/वादी संख्या 01 तथा रेस्पोडेंट/वादी संख्या 02 व 03 के पिता क्रमशः स्व. श्री ग्यारसा तथा स्व0 श्री जवाहरा ने विक्रय राशि प्राप्त कर भूमि खसरा नम्बर 204 में अपने 1/2 हिस्से की जो भूमि उनके नाम राजस्व भू–अभिलेखों में दर्ज हो गई थी उसे अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 तथा अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 04 के पिता स्व. श्री बंशी को विक्रय कर कब्जा संभलाया है इसलिए अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा इसके विपरीत कोई आचरण करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। रेस्पोडेंट/वादीगण का यह कथन कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.10.2016 को तथाकथित त्रुटि को दुरूस्त करवाने से इन्कार कर दिया हो, पूर्णतः गलत व आधारहीन है। अपीलान्टस द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2017 निरस्त फरमाया जाने का अनुतोष चाहा गया।

4–अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5–अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया तथा कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी को जवाब व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली जवाब प्रस्तुत करने हेतु नियत थी। प्रकरण में जवाब दिये बगैर तथा बिना किसी राजीनामा के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखा जाकर निर्णित कर दिया गया।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आवश्यक तीनों घटकों का कोई विवेचन नहीं किया गया तथा नॉन स्पीकिंग निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी बहस में इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना–पत्र में नियत था परन्तु न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से अपीलाधीन आदेश पारित कर उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है तथा आदेश यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसपर उपलब्ध दस्तोवजात का अवलोकन किया गया।अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 22/02/2017 की आदेशिका अनुसार जवाब प्रार्थना–पत्र में विचाराधीन था। उसके पश्चात आगामी तारीख पेशियॉ दिनांक 08–03–207,7–4–2017,12–05–2017 को नियत की गई जिनमें कोई कार्यवाही नही हुई। तत्पश्चात दिनांक 27–06–2017 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प जयसिंहपुरा में नियत की गई तथा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है कि " पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 26–10–2016 को दावा के निर्णय तक कन्फर्म करना तथा उभयपक्षों को दावा के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित समझता हूँ।" इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी विवेचन एवं साक्ष्य सबूतों के बिना ही उक्त नॉन स्पीकिंग निर्णय पारित किया गया है। पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा होना पत्रावली पर उपलब्ध नही है तथा अप्रार्थीगण/अपीलान्ट्स द्वारा कोई जवाब प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश पूर्णतया सरसरी तौर पर तथा बिना किसी आधार पर पारित किया गया है जो कि बहाल रखे जाने योग्य नही हैं। प्रकरण में जवाब प्रार्थना–पत्र एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है इसलिये प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है।अपीलान्ट्स की अपील आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8– अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–06–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जवाब प्रार्थना–पत्र एवं साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 19–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर